



**बिहार सरकार**

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन  
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित  
विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत विवरण

**सुशील कुमार मोदी  
उप मुख्य (वित्त) मंत्री**

**वर्ष 2020**

## विषय सूची

पृष्ठ

(क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण	3-11
(ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण	12-21
(ग) राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण	21-28

## बिहार राजकोषीय नीति विवरण का अवलोकन

राजकोषीय नीति एक व्यापक अवधारणा है जो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रों को प्रभावित करता है। वित्तीय अनुशासन को कायम रखना एवं वित्तीय समकेन के पथ पर निरंतर अग्रसर होना अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम राजकोषीय समेकन को एक कानूनी संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। राज्य सरकार केवल प्राकृतिक विपत्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य असाधारण मामलों में क्रेन्ड्रीय सरकार के निर्देष्ट करने के पश्चात ही राजकोषीय समेकन के मामलों में छूट पा सकती है। राज्य विधान मंडल ने 18 फरवरी, 2006 को बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को पारित किया।

राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय प्रबंधन के क्षेत्र में अनेक नीतिगत एवं त्वरित कदम उठाये गये जो इस अधिनियम का पूर्णतया पालन करने में कारगर सिद्ध हुआ। अर्थव्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बिहार की राजकोषीय नीति में समय-समय पर बदलाव किया जाता रहा है। इस संदर्भ में, केन्द्र सरकार द्वारा वैश्विक आर्थिक मंदी के मद्देनजर, राज्य सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा का अनुपात वर्ष 2009-10 में 4.00 प्रतिशत तथा वर्ष 2010-11 में 3.50 प्रतिशत रखा गया था। वर्ष 2011-12 एवं आगे के वर्षों के लिए इस लक्ष्य को पुनः 3.00 प्रतिशत रखा गया। चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा भारत सरकार के मार्गदर्शन के आलोक में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 9, 2016) के द्वारा एफ०आर०बी०एम० एकट, 2006 में अपेक्षित संशोधन किया गया। अधिनियम 2016 के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं -

1. वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि में राज्य के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्यों और वार्षिक उधार सीमाओं का प्रतिज्ञापन निम्नवत् किया जाता है :-

- (I) राज्य का राजकोषीय घाटा जी०एस०डी०पी० (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के 3 प्रतिशत की वार्षिक सीमा तक स्थिरता प्रदान करने वाला होगा। राज्य इससे अधिक की सीमा के लिए किसी भी वर्ष में, जिसके लिए उधार सीमाएं नियत की जानी है, यदि उसका बकाया ऋण- जी०एस०डी०पी० अनुपात उसके पिछले

वर्ष में 25 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है, 0.25 प्रतिशत की लोचनीयता व उदारता के लिए पात्र होगा ।

- (II) राज्य उक्त वर्ष में जिसके लिए उधार सीमाएं नियत की जानी हैं, यदि उसका ब्याज भुगतान उसके पिछले वर्ष में राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है, जी०एस०डी०पी० का 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा के लिए भी पात्र होगा ।
- (III) लोचनीयता संबंधी प्रावधानों के अधीन राज्य उपर्युक्त इंगित दो विकल्प प्राप्त कर सकते हैं या तो उपर्युक्त में से कोई एक मानदण्ड पूरा करने पर कोई भी उपर्युक्त विकल्प या दोनों मानदंडों को पूरा करने पर दोनों विकल्प एक साथ। इस प्रकार किसी दिए गए वर्ष में राज्य को अधिकतम राजकोषीय घाटा जी०एस०डी०पी० के 3.5 प्रतिशत सीमा तक प्राप्त हो सकता है ।
- (IV) एक विकल्प या दोनों विकल्पों के अधीन अतिरिक्त सीमा प्राप्त करने के लिए राज्य के पास लोचनीयता तभी उपलब्ध होगी यदि उक्त वर्ष में, जिसमें उधार सीमाएं नियत की जानी है और ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में कोई राजस्व घाटा न हो ।

2. वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के बीच वित्तीय वर्ष के दौरान किसी विशिष्ट वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के सामान्य राजकोषीय घोटे के वित्त पोषण के लिए अपनी स्वीकृत उधार सीमा का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे केवल अगले वर्ष में इस अनुपयोजित उधार राशि (जिसका रूपये में परिकलन किया गया है) को 14वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि 2017-18 से 2019-20 के भीतर प्राप्त करने का विकल्प होगा। अनुपयोजित उधार राशि सहित यह राशि जी०एस०डी०पी० के 3.5 प्रतिशत तक सीमित होगी ।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 18 फरवरी, 2006 के प्रभाव से लागू किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष बजट के साथ-साथ

राजकोषीय नीति संबंधी विवरणों- (क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा का विवरण, (ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति का विवरण और (ग) राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण को रखेगी ।

राज्य की अर्थव्यवस्था 2005-06 से लगातार दो अंको में वृद्धि दर्ज कर रही है। यह आर्थिक वृद्धि दर राज्य सरकार के द्वारा लिए गए अनेक नीतिगत उपायों के फलस्वरूप सम्भव हुआ है। इस आर्थिक वृद्धि का लाभ समाज के हर वर्ग को मिला है जिसके फलस्वरूप गरीबी में कमी दर्ज की गई एवं राज्य के आर्थिक सामाजिक संकेतकों में सुधार हुआ है।

### (क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा का विवरण

#### 1. राज्य अर्थव्यवस्था पर विस्तृत अवलोकन

एफ०आर०बी०एम० अधिनियम, 2006 के लागू होने के उपरान्त बिहार की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर में काफी तेजी दर्ज की गई। वर्ष 2005-06 से 2015-16 तक बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10 प्रतिशत से ज्यादा है। साथ ही 2018-19 में बिहार ही सर्वाधिक आर्थिक वृद्धि दर के मामले में देश में तीसरे स्थान पर रहा है। तालिका क. 1: में राज्य की अर्थव्यवस्था की संरचना एवं राष्ट्रीय आर्थिक संरचना का विवरण प्रस्तुत किया गया है। हाल के तीन वर्षों में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर, अखिल भारतीय आर्थिक वृद्धि दर से अधिक रहा है। जहाँ पिछले वर्ष (2017-18) बिहार का विकास दर देश के अन्य राज्यों के बीच सर्वोपरि था वहीं इस वर्ष (2018-19) में बिहार की आर्थिक विकास दर का देश में तीसरा स्थान है। इस अवधि में सार्वजनिक निवेश के स्तर में भी वृद्धि हुई है। पिछले 15 वर्षों में बिहार राज्य का बजट आकार 20058 करोड़ रुपये (वर्ष 2004-05) से बढ़कर 200501 करोड़ रुपये (वर्ष 2019-20) हो गया है जो 10 गुणा वृद्धि है। सार्वजनिक निवेश के अलावे विकास के पैटर्न में भी भारी परिवर्तन हुआ जिसमें भौतिक अधिसंरचनात्मक विकास और सामाजिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने पर काफी बल दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2004-05 (77781 करोड़ रुपये) की तुलना में वर्ष 2019-20 में (557490 करोड़ रुपये) 7 गुणा से भी अधिक हो गया है।

**तालिका क. 1: अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्तन (2011-12 के स्थिर मूल्यों पर)**

प्रक्षेत्र	अखिल भारत			बिहार		
	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19
<b>जी०वी०ए०/जी०एस०वी०ए० का क्षेत्रीय वितरण (करोड़ रुपये में)</b>						
प्राथमिक	2065555	2168716	2226196	68764	73150	73613
द्वितीयक	3219288	3413837	3668368	64384	67427	71666
तृतीयक	6034128	6521612	7012372	178960	202397	229307
जी०वी०ए०/ जी०एस०वी०ए०	11318972	12104165	12906936	312108	342974	374585
जी०डी०पी०/ जी०एस०डी०पी०	12298327	13179857	14077586	323004	356768	394350
प्रति व्यक्ति आय (रु)	82931	87623	92565	28424	30906	33629
<b>जी०वी०ए०/जी०एस०वी०ए० का आर्थिक संरचना में हिस्सा (प्रतिशत में)</b>						
प्राथमिक	18.25	17.92	17.25	22.03	21.33	19.65
द्वितीयक	28.44	28.20	28.42	20.63	19.66	19.13
तृतीयक	53.31	53.88	54.33	57.34	59.01	61.22
जी०वी०ए०/ जी०एस०वी०ए०	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>विकास दर (प्रतिशत में)</b>						
जी०डी०पी०/ जी०एस०डी०पी०	8.17	7.17	6.81	8.94	10.45	10.53
प्रति व्यक्ति आय (रु)	6.79	5.66	5.64	7.25	8.73	8.81

स्रोत:- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार।

राज्य एवं अखिल भारतीय आर्थिक संरचना करीब-करीब समान है। राष्ट्रीय स्तर पर पिछले तीन वर्षों में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों (प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक) में लगभग कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है, परन्तु बिहार की आर्थिक संरचना में परिवर्तन दर्ज की गई है। जहां प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों में क्रमशः 2.4 प्रतिशत अंकों एवं 1.5 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्ज की गई हैं वहीं तृतीयक क्षेत्र में 3.9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। बिहार की आर्थिक वृद्धि का धोतक मुख्य रूप से तृतीयक क्षेत्र ही है। तृतीयक क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में 13 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसी अवधि में बिहार की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से अधिक तेजी से बढ़ी है।

## 2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि

बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि में विभिन्न प्रक्षेत्रों का योगदान तालिका- क. 2 में दर्शाया गया है। बिहार में वर्ष 2005 से आर्थिक विकास की वृद्धि दर दो अंकों में दर्ज की गयी है। वर्ष 2005 से वर्ष 2015 तक बिहार की आर्थिक वृद्धि दर औसतन 10 प्रतिशत रही है। यह वृद्धि दर 2016-17 में 8.94 प्रतिशत थी जो वर्ष 2017-18 में बढ़ कर 10.45 प्रतिशत तथा वर्ष 2018-19 में बढ़ कर 10.53 प्रतिशत हो गयी है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास दर 6 से 7 प्रतिशत रही है। हाल के वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 में बिहार के आर्थिक विकास में विभिन्न प्रक्षेत्रों के योगदान पर नजर डालने से पता चलता है कि 10 प्रतिशत या उससे अधिक विकास दर दर्ज करने वाले ये क्षेत्र बिहार के विकास के वाहक हैं। ये प्रक्षेत्र-

- (i) वायु परिवहन (36.0 प्रतिशत),
- (ii) अन्य सेवाएं (20.0 प्रतिशत),
- (iii) व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह (17.0 प्रतिशत),
- (iv) सड़क परिवहन (14.0 प्रतिशत), एवं
- (v) वित्तीय सेवाएं (13.8 प्रतिशत) हैं।

राज्य में 10 प्रतिशत से अधिक विकास दर वाले सभी प्रक्षेत्र सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यह अति महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। वर्ष 2018-19 में तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि दर के मामले में बिहार देश का दूसरा अग्रणी राज्य है। सेवा क्षेत्र का योगदान बिहार की अर्थव्यवस्था में 60 प्रतिशत से भी अधिक है। अर्थव्यवस्था में इस वृद्धि की वजह से बिहार की प्रतिव्यक्ति आय में पिछले 15 वर्षों में चार गुनी वृद्धि हुई है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2004-05 में मात्र 8773 रुपये थी जो बढ़कर वर्ष 2018-19 में 33629 रुपये हो गई है।

## तालिका क.2

**स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011-12) पर सकल राज्य घेरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार विकास दर  
(प्रतिशत में)**

क्र० सं०	क्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19	
		चालू मूल्य पर	स्थिर मूल्य पर	चालू मूल्य पर	स्थिर मूल्य पर	चालू मूल्य पर	स्थिर मूल्य पर
1	कृषि/वानिकी और मत्स्य	16.92	11.00	12.7	6.7	6.5	0.6
1.1	फसल	17.91	11.89	8.7	4.9	4.0	-3.9
1.2	पशुधन	14.04	7.85	20.6	9.9	12.4	8.4
1.3	वानिकी/काष्ठ उत्पादन	32.80	27.10	6.8	2.5	7.3	4.9
1.4	मत्स्य एवं जलीय कृषि	5.82	0.46	23.0	15.5	3.1	2.4
2	खनन/प्रस्तर खनन	-6.17	-24.58	2.8	-12.0	14.2	2.7
	<b>उप योग (प्राथमिक)</b>	<b>16.21</b>	<b>9.98</b>	<b>12.5</b>	<b>6.4</b>	<b>6.7</b>	<b>0.6</b>
3	विनिर्माण	25.39	25.56	5.8	1.3	5.1	3.0
4	विद्युत/गैस/जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	-5.58	8.33	-1.6	12.0	5.2	5.3
5	निर्माण	8.47	6.02	13.3	7.0	14.6	9.4
	<b>उप योग (छितीयक)</b>	<b>14.19</b>	<b>14.31</b>	<b>9.0</b>	<b>4.7</b>	<b>9.9</b>	<b>6.3</b>
6	व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट	13.76	10.07	14.2	10.7	22.5	17.0
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	14.02	10.33	14.4	10.9	23.1	17.6
6.2	होटल एवं रेस्टोरेंट	9.43	5.77	11.4	8.1	12.0	5.8
7	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं	7.54	3.16	8.2	7.5	14.0	8.8
7.1	(i) रेलवे	3.00	-13.29	1.1	20.1	1.8	2.1
7.2	(ii) सड़क परिवहन	14.74	11.64	16.1	12.7	20.4	14.0
7.3	(iii) जल परिवहन	60.84	56.51	-5.1	-7.9	-1.8	-5.4
7.4	(iv) वायु परिवहन	21.45	18.18	28.2	24.4	44.0	36.0
7.5	परिवहन के लिए आकस्मिक सेवाएं	17.76	14.58	14.5	11.0	12.7	6.8
7.6	भंडारण	6.95	4.21	17.4	13.8	8.6	3.8
7.7	प्रसारण से संबंधित सेवाएं	-3.09	-4.31	-4.3	-7.0	5.6	1.2
8	वित्तीय सेवाएं	1.71	2.02	22.5	13.8	22.5	13.8
9	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व तथा व्यवसाय सेवाएं	5.23	3.63	7.2	5.1	6.9	4.9
10	लोक प्रशासन	10.43	7.35	34.9	33.5	11.1	8.2
11	अन्य सेवाएं	15.13	10.66	24.8	20.3	23.3	20.0
	<b>उप योग (तृतीयक)</b>	<b>10.52</b>	<b>7.01</b>	<b>16.5</b>	<b>13.1</b>	<b>18.0</b>	<b>13.3</b>
12	जी०एस०डी०पी०/ जी०वी०ए०	<b>12.51</b>	<b>9.09</b>	<b>14.2</b>	<b>9.9</b>	<b>13.9</b>	<b>9.2</b>
13	जी०एस०डी०पी०	<b>13.65</b>	<b>8.94</b>	<b>14.8</b>	<b>10.5</b>	<b>15.0</b>	<b>10.5</b>

स्रोत:- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार।

### **3. राज्य सरकार के वित्त साधन पर विस्तृत विचार**

बिहार सरकार की प्राथमिकता सदैव राज्य में सुशासन एवं न्याय के साथ निरंतर विकास रहा है। राज्य सरकार ने इस एजेंडा की प्रतिपूर्ति के लिए अपने सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही नहीं किया है, बल्कि अपने प्रशासन तंत्र का भी सुदृढ़ीकरण किया है और अनेक संस्थागत सुधारों को आरंभ किया है। निवेश के चुनाव में भी बदलाव आया है और अधिसंरचना (इनफ्रास्ट्रकचर) तथा सामाजिक सेवा प्रदान करने की प्रणाली (सोशल डिलीवरी सिस्टम) के विकास पर काफी जोर दिया गया है। राजकोषीय प्रबंधन में बुद्धिमानी दिखाकर, राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप संसाधनों का आवंटन करके तथा व्यय की गुणवत्ता तथा इसके परिणामों को भी सुनिश्चित करने के लिहाज से लोक वित्त के प्रबंधन को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। लोक वित्त प्रबंधन के प्रमुख चार स्तंभ निम्न प्रकार हैं-

#### **3.1 संसाधन संग्रहण**

राज्य सरकार के उपलब्ध संसाधनों में कर और गैर-कर राजस्व, पूंजीगत प्राप्तियाँ, केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा एवं केन्द्र सरकार से मिलने वाले अनुदान सम्मिलित हैं। पिछले 15 वर्षों में राज्य सरकार का कुल राजस्व प्राप्ति में 11 गुणा से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज करने के फलस्वरूप वर्ष 2004-05 के मात्र 15714 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रहण की तुलना में बढ़कर वर्ष 2019-20 में 176748 करोड़ रुपये हो गया है। राजस्व प्राप्ति में केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 50.4 प्रतिशत, केन्द्रीय अनुदान 27.7 प्रतिशत, राज्य का अपना कर राजस्व 19.1 प्रतिशत तथा राज्य का अपना गैर-कर राजस्व 2.7 प्रतिशत रहा है। अतः बिहार में 78.2 प्रतिशत संसाधन केन्द्रीय हस्तांतरण के रूप में मिलता है जो वित्त आयोग तथा मंत्रालयों के द्वारा किया जाता है।

#### **3.2 व्यय प्रबंधन**

वर्ष 2004-05 की तुलना में राज्य का कुल व्यय में 10.0 गुणा की बढ़ोतरी दर्ज करने के फलस्वरूप 20,058 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 2,00,501 करोड़ रुपये हो गया है। राजस्व व्यय में जहाँ 10.6 गुणा वृद्धि दर्ज की गई है वहीं पूंजीगत व्यय में भी 24 गुणा की वृद्धि एक सराहनीय उपलब्धि है। यह पूंजीगत निवेश आर्थिक विकास को तेजी प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार यदि

राज्य के विकासमूलक व्यय पर नजर डालें तो पिछले 15 वर्षों में यह 15 गुणा से भी ज्यादा हो गया है। राज्य के व्यय को कामकाजी वर्गीकरण के आधार पर तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है- सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ तथा आर्थिक सेवाएँ। सामाजिक एवं आर्थिक विकास हमेशा से राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। अतः व्यय का 73.5 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र पर खर्च होता है। राज्य सरकार द्वारा किए गए मितव्यीय वित्तीय प्रबंधन राज्य के सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समृद्ध बनाने में कारगर सिद्ध हुआ है। यह पहल राज्य में सीमित संसाधनों के उचित वितरण के प्रति सरकार की कटिबद्धता को दर्शाता है।

### 3.3 ऋण प्रबंधन

वर्ष 2004-05 में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण सकल राज्य घेरलू उत्पाद के 62 प्रतिशत से भी अधिक था। अतः राज्य को ऋण जाल में फंस जाने का गंभीर खतरा मौजूद था जिसमें समस्त नई उधारियाँ विद्यमान ऋण बोझ तथा ब्याज की अदायगी पर ही खर्च हो जाती। राज्य सरकार की विशेष पहल के द्वारा 2005-06 के बाद से बकाया ऋण का सकल राज्य घेरलू उत्पाद के अनुपात में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गयी है। वर्ष 2019-20 में यह अनुपात घटकर 32.5 प्रतिशत हो गया है। इसे पुनः कम कर 25 प्रतिशत की सीमा के अंदर लाने का प्रयास किया जा रहा है।

### 3.4 घाटा प्रबंधन (Deficit Management)

घाटा प्रबंधन के प्रमुख तीन घटक हैं- राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा एवं प्राथमिक घाटा। वर्ष 2003-04 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घेरलू उत्पाद के 7.7 प्रतिशत था। बिहार सरकार ने 2005-06 एवं उसके बाद के वर्षों में घाटा प्रबंधन को अनुशासित रखा है। वर्ष 2005-06 से ही राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घेरलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के अंदर ही रखा गया है। वर्ष 2019-20 में यह अनुपात 2.8 प्रतिशत रखा गया है जो उस वर्ष की निर्धारित सीमा 3.0 प्रतिशत के अंदर है। वर्ष 2003-04 में 255.57 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा था अर्थात् राज्य कर्ज लेकर ब्याज अदा करती थी। 2004-05 में राज्य सरकार ने राजस्व घाटा को खत्म कर राजस्व अधिशेष संग्रह किया तथा वर्ष 2019-20 में 21517 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष होगा जिसका उपयोग राज्य के आर्थिक-सामाजिक विकास के क्षेत्रों में किया

जाएगा। इस दिशा में बिहार राज्य में राजस्व अधिशेष का संग्रह होना, राज्य के आर्थिक विकास में 'मील का पत्थर' साबित हुआ। यह राजस्व आधिक्य पूँजीगत व्यय पर खर्च कर राज्य की भौतिक एवं सामाजिक अधिसंरचना को सुदृढ़ किया गया। जहां तक प्राथमिक घाटा का सवाल है, यह वर्ष 2019-20 में एक प्रतिशत से भी कम है। अतः बिहार सरकार ने घाटा का विवेकपूर्ण प्रबंधन किया है।

#### 4. संभावनाएँ

अर्थव्यवस्था एवं वित्तव्यवस्था एक दूसरे का अनुपूरक हैं। जहां एक ओर सुदृढ़ वित्त व्यवस्था तीव्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है वहीं आर्थिक विकास कई तरह से वित्त व्यवस्था को अतिरिक्त सुदृढ़ता प्रदान करता है। इस अवधारणा के आधार पर राज्य सरकार आर्थिक एवं सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुरूप संसाधनों का आवंटन करने के पश्चात सारे सार्वजनिक व्ययों के परिणामों का अनुश्रवण करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार करके और अपने स्रोतों से राजस्व बढ़ाकर राज्य सरकार ने इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण प्रगति की है। आधारभूत अधिसंरचनाओं में निवेश के लिए पूँजीगत परिव्यय लगातार बढ़ाया जाता रहा है जिसके फलस्वरूप बिहार में आर्थिक विकास विगत कई वर्षों से 10 प्रतिशत से अधिक दर से बढ़ी है तथा देश के आर्थिक वृद्धि दर्ज करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है। सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र पर व्यय में प्रचुर वृद्धि के चलते आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है जो अधिकांश सामाजिक आर्थिक सूचकों से भी परिलक्षित होता है। गरीबी दर परिप्रेक्ष्य में भी सुधार हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और राज्य सरकार कृषि के क्षेत्र के विकास के प्रति कटिबद्ध है। आज भी 70 प्रतिशत लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर आश्रित हैं। राज्य ने कृषि के विकास हेतु दूरदर्शी कृषि रोड मैप (2007-22) तथा जल जीवन हरियाली मिशन को लागू किया है। कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है इसलिए इसकी विकास दर में भारी उत्तार-चढ़ाव देखने को मिलता है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का उपयोग, सिंचाई का तीव्र विस्तार, उन्नत बीज, कृषि उत्पाद का वाणिज्यीकरण तथा उसको बाजार एवं उद्योग से जोड़ कर इस क्षेत्र में उच्च विकास दर को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक सेवा प्रक्षेत्र में संभावनाओं का सवाल है, पिछले वर्ष 13 प्रतिशत से अधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। यह क्षेत्र

बिहार के आर्थिक विकास का प्रमुख वाहक है। बिहार में सेवा के क्षेत्र में भी अपार सम्भावनाएँ हैं। जबकि औद्योगिक प्रक्षेत्र की विकास दर लगभग पिछले वर्षों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में धीमी रही है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिहार जैसे कृषि से सम्पन्न राज्य में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग के लिए अपार संभावनाएँ हैं। बिहार देश में तीसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य है। सरकार ने औद्योगिकीकरण की दिशा में नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 लागू कर अहम नीतिगत बदलाव किया है। बिहार में पर्यटन तथा सूचना एवं प्रावैधिकी प्रक्षेत्र में भी साहसिक एवं सतत बढ़ावा देने की जरूरत है। राज्य में सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्योगों को वृहद स्तर पर प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसमें इन उद्योगों को एक समूह के रूप में विकसित करना अधिक कारगर होगा। यह प्रक्षेत्र बिहार के औद्योगिक विकास में अतिमहत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। सरकार के द्वारा उठाये गये कदम से आने वाले वर्षों में औद्योगिक प्रक्षेत्र में वृद्धि की अपार संभावनाएँ हैं।

### तालिका क.3:- प्रमुख राजकोषीय सूचकों का स्वझान

(राशि करोड़ रूपए में)

अनु० क्र०	मद्दें	पूर्व	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 में परिवर्तन (प्रतिशत)	वर्ष 2019-20 से वर्ष 2020-21 में परिवर्तन (प्रतिशत)
		2018-19 (वास्तविकी)	2019-20 (बजट अनुमान)	2020-21 (बजट अनुमान)		
1	2	3	4	5	6	7
1	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	131793.45	176747.64	183923.99	34.11	4.06
2	कर राजस्व	103011.27	122921.79	125930.60	19.33	2.45
	(क) संधीय करों में राज्य का अंश	73603.13	89121.79	91180.60	21.08	2.31
	(ख) राज्य सरकार के कर-राजस्व	29408.14	33800.00	34750.00	14.93	2.81
3	राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व	4130.56	4806.47	5239.28	16.36	9.00
4	केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान	24651.62	49019.38	52754.10	98.85	7.62
5	पूंजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	20493.60	24837.12	28037.50	21.19	12.89
6	ऋणों की वसूली	1825.40	416.38	428.23	-77.19	2.85
	लोक ऋण (7+8)	18668.20	24420.74	27609.27	30.81	13.06
7	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	16134.42	21735.74	24809.27	34.72	14.14
8	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अधिम	2533.78	2685.00	2800.00	5.97	4.28
9	कुल प्राप्तियाँ (1+5)	152287.05	201584.76	211961.49	32.37	5.15
10	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	84883.77	99110.01	105995.14	16.76	6.95
11	राजस्व खाते पर जिसमें	77531.83	91637.17	98784.05	18.19	7.80
12	(क) ब्याज भुगतान	10071.14	10723.47	12924.65	6.48	20.53
12	(ख) पेंशन	16027.75	18457.53	20468.16	15.16	10.89
12	(ग) वेतन	18963.80	23358.30	24987.14	23.17	6.97
13	पूंजीगत खाते पर (क+ख+ग+घ)	7351.94	7472.84	7211.09	1.64	-3.50
	(क) राज्य का आन्तरिक ऋण	6299.49	6152.78	5920.06	-2.33	-3.78
	(ख) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अधिम	930.33	1083.16	1115.22	16.43	2.96
	(ग) पूंजीगत व्यय	58.82	161.40	61.39	174.40	-61.97
	(घ) ऋण एवं पेशगियाँ	63.30	75.50	114.43	19.27	51.57
14	स्कीम व्यय	69771.67	101391.00	105766.35	45.32	4.32
	(क) राज्य योजना	69348.90	100000.98	105262.34	44.20	5.26
	(ख) के.प्र.यो.+के.यो.यो.	422.77	1390.02	504.01	228.79	-63.74
15	राजस्व खाते पर	47364.98	63593.48	65967.14	34.26	3.73
16	पूंजीगत खाते पर	22406.69	37797.52	39799.21	68.69	5.30
17	कुल व्यय (10+14)	154655.44	200501.01	211761.49	29.64	5.62
18	राजस्व व्यय (11+15)	124896.81	155230.65	164751.19	24.29	6.13
19	पूंजीगत व्यय (13+16)	29758.62	45270.36	47010.30	52.13	3.84
20	राजस्व घाटा (18-1)	-6896.64	-21516.99	-19172.80	211.99	-10.89
21	राजकोषीय घाटा {17-(1+6+13क+13ख)}	13806.77	16101.05	20374.00	16.62	26.54
22	प्राथमिक घाटा (23-12क)	3735.63	5377.58	7449.35	43.95	38.53
23	जी.एस.डी.पी.	515634.00	572827.00	685797.00	11.09	19.72
24	राजकोषीय घाटा/ जी.एस.डी.पी.	2.68%	2.81%	2.97%		
25	ब्याज भुगतान /कुल राजस्व प्राप्तियाँ	7.64%	6.07%	7.03%		

### (ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण:-

राज्य सरकार की राजकोषीय नीति कई कारकों से प्रभावित होती है। राजकोषीय नीति किसी भी सरकार के समग्र आर्थिक दिशा को परिलक्षित करती है। विगत वर्षों में देश के वित्तीय ढांचा में काफी परिवर्तन आया है। योजना आयोग के परिसमापन, राज्यों को अधिक मात्रा में केन्द्रीय करो का (विशिष्ट योजनागत स्कीमों से अनिवार्य) अंतरण के लिए चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन और केंद्र प्रायोजित स्कीमों की संख्या में कमी के साथ-साथ राज्य द्वारा दिये जाने वाले मैचिंग ग्रांट (Matching Grant) में बढ़ोत्तरी के कारण अन्य सभी राज्यों की तरह बिहार की राजकोषीय नीति पर भी इन परिवर्तनों का असर हुआ है।

बिहार सरकार अपनी राजकोषीय नीति को अर्थव्यवस्था की जस्ततों और वित्तीय विवेक के अनुरूप समय-समय पर बदलती रही है। राज्य की राजकोषीय नीति राजस्व अधिशेष निर्मित करने के साथ-साथ इस अधिशेष का उपयोग भविष्य में राज्य की आय बढ़ाने वाली पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण की दिशा में उन्मुख है। इसका फोकस ऋण स्तर को नीचे रखना भी है।

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में बिहार ने 2006 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम लागू किया था जिसके जरिए उसने (क) 2008-09 तक राजस्व घाटा समाप्त करने और उसके बाद से पर्याप्त राजस्व अधिशेष कायम करने, (ख) 2008-09 तक सकल राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से नीचे के स्तर पर लाने, (ग) बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 28 प्रतिशत के स्तर से नीचे लाने और (घ) पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता देने के मानक तैयार करने तथा आर्थिक विकास, गरीबी में कमी और मानव विकास को बल देने वाली व्यय संबंधी नीतियों का अनुपालन करने के लिए खुद को संकल्पबद्ध किया था। इन संकल्पों का अधिकांशतः पालन किया गया है। हालांकि, सकल राजकोषीय घाटा को अधिनियम द्वारा विहित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक सीमित रखने के कारण अधिक उधारी लेने और अतिरिक्त उधारियों का पूँजीगत परिसंपत्तियों में निवेश करने की गुंजाइश सामान्यतः सीमित हो गई है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्व घाटा 2004-05 में ही समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद से सभी वर्षों में प्रचुर राजस्व अधिशेष सृजित होता रहा है। वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में राज्य की राजस्व प्राप्ति 183924 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय 164751 करोड़ रुपये अनुमानित है जिससे राजस्व लेखे में 19173 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष होगा। सकल राजकोषीय घाटा 20374 करोड़ रुपये अनुमानित है जो सकल राज्य घेरेलू उत्पाद के 2.97 प्रतिशत के बराबर होगा। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा विहित 3 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत है। वर्ष 2020-21 में 19173 करोड़ रुपये के राजस्व अधिशेष से काफी अधिक पूँजीगत परिव्यय का वित्तपोषण होगा। वर्ष 2020-21 के अंत तक बकाया लोक ऋण 163904 करोड़ रुपये होना अनुमानित है जो सकल राज्य घेरेलू उत्पाद के 23.90 प्रतिशत के बराबर होगा। राज्य सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा अधिदेशित विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के पथ पर सधे कदमों से आगे बढ़ रही है। इस राजकोषीय नीति से राज्य की सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में भारी बदलाव आया है। भौतिक अधिसंरचना के निर्माण के साथ-साथ सामाजिक अधिसंरचना को भी मजबूत किया जा रहा है। राजकोषीय नीति का फोकस सार्वजनिक सेवाप्रदान के मानक में सुधार लाना है। पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार ने लोक वित्त के प्रबंधन में बेहतर राजकोषीय अनुशासन दिखाया है। व्यय का न्यायोचित वितरण, राजस्व के टिकाउपन में वृद्धि, निम्न प्राथमिकता वाले ऋणों में कमी और अधिसंरचना में अतिवांछित निवेश में वृद्धि इसका समुचित उदाहरण है। ऐसे विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप गत दशक में आर्थिक वृद्धि दर 10 प्रतिशत से अधिक बनी रही है। गरीबी में 20 प्रतिशत से भी अधिक गिरावट आई है। साक्षरता 15 प्रतिशत बढ़ी है और कृषि क्षेत्र में भी व्यापक सुधार हुआ है। उपर्युक्त पहल के द्वारा राज्य सरकार राजकोषीय प्रबंधन के सिद्धांतों से बिना कोई समझौता किए विकासमूलक व्यय का उच्च स्तर बनाए रखने में सक्षम रही है।

### तालिका ख.1: राजकोषीय संकेतक-परिवर्तनीय लक्ष्य

(राशि करोड़ रु० में)

क्र० सं०	मद	वास्तविकी	वास्तविक	वास्तविक	बजट अनुमान	लक्ष्य						
						2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	सकल धेरेलू उत्पाद	540556.00	487628.00	515634.00	572827.00	685797.00	769883.00	864278.00				
2	राजस्व बचत	10819.81	14823.01	6896.64	21516.98	19172.80	19356.86	19542.68				
3	राजकोषीय घाटा	16479.15	14304.84	13806.77	16101.06	20374.00	23096.49	25928.34				
4	लोक ऋण वर्ष के अन्त में शेष	106190.81	114706.68	126145.06	143329.88	163903.88	187000.37	212928.71				
5	कर राजस्व	82622.85	88219.87	103011.27	122921.79	125930.60	139782.97	155159.09				
6	सकल धेरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व बचत	2.00	3.04	1.34	3.76	2.80	2.51	2.26				
7	सकल धेरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल राजकोषीय घाटा	3.05	2.93	2.68	2.81	2.97	3.00	3.00				
8	सकल धेरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल कर राजस्व	15.28	18.09	19.98	21.46	18.36	18.16	17.95				
9	सकल धेरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण	19.64	23.52	24.46	25.02	23.90	24.29	24.64				

स्रोत:- जी०एस०डी०पी० हेतु ।

वर्ष	विभाग/मंत्रालय	पत्रांक	दिनांक
2016-17	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (प्लान फाइनांस डिविजन-I)	40(6)पी०एफ०/२००९ वोल्यूम-II	29/०३/२०१६
2017-18	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सार्थिकी निदेशालय)	रा०आ०(वि०)/१२२७	२७/१०/२०१८
2018-19	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सार्थिकी निदेशालय)	रा०आ०(वि०)-०४/२०१६-१७६७	०१/११/२०१७
2019-20	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सार्थिकी निदेशालय)	रा०आ०(वि०)/१२२७	२७/१०/२०१८
2020-21	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सार्थिकी निदेशालय)	रा०आ०(वि०)/१३६१	१७/१०/२०१९
2021-22	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सार्थिकी निदेशालय)	रा०आ०(वि०)/१९८	०५/०२/२०२०
2022-23	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सार्थिकी निदेशालय)	रा०आ०(वि०)/१९८	०५/०२/२०२०

## राजकोषीय संकेतक का पूर्वानुमान-

### (1) राजस्व प्राप्तियाँ :-

- (क) कर राजस्व - कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व तथा केन्द्रीय करों का अंतरण सम्मिलित है। वर्ष 2020-21 के लिए केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा 91180.60 करोड़ रूपए अनुमानित है। वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार के कर राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 34750.00 करोड़ रूपए है जिसमें वाणिज्यकर विभाग से 26500.00 करोड़ रूपये, निबंधन विभाग से 4700.00 करोड़ रूपये, परिवहन विभाग से 2500.00 करोड़ रूपये एवं भू-राजस्व विभाग से 500.00 करोड़ रूपये का संग्रहण किया जायेगा।
- (ख) करेत्तर राजस्व - वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का करेत्तर राजस्व 5239.28 करोड़ रूपए अनुमानित है जिसमें मुख्यतः खनन एवं भूतत्व मद से 2450.00 करोड़ रूपये, ब्याज प्राप्ति मद में 2080.55 करोड़ रूपये एवं 200.00 करोड़ रूपये झारखण्ड राज्य से 14 नवम्बर 2000 के पूर्व सेवा निवृत कर्मियों को भुगतान की गयी पेंशन की दायित्व की राशि प्राप्त होनी है।
- (ग) कुल कर राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा - कुल कर राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2019-20 में 33800.00 करोड़ रूपये अनुमानित है और 2020-21 में 34750.00 करोड़ रूपये प्राप्त होना अनुमानित किया गया है। कर राजस्व प्राप्ति में वर्ष 2019-20 में राज्य के कर राजस्व का हिस्सा 27.50 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2020-21 में 27.59 प्रतिशत प्राप्त होने की संभावना है।
- (घ) करेत्तर राजस्व - वर्ष 2020-21 में करेत्तर राजस्व 5239.28 करोड़ रूपए होने की संभावना है जो वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान 4806.47 करोड़ रूपये से 432.81 करोड़ रूपये अधिक है।

## (2) पूंजीगत प्राप्तियाँ :-

वर्ष 2020-21 में पूंजीगत प्राप्तियाँ 28037.50 करोड़ रुपए होने की संभावना है जो वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान 24837.12 करोड़ रुपये से 3200.38 करोड़ रुपये अधिक है।

वर्ष 2020-21 में विभिन्न स्रोतों से ऋण की उपलब्धता निम्नानुसार रहेगी-

- (क) केन्द्र से उधार तथा अग्रिम - वर्ष 2020-21 में बाह्य सम्पोषित परियोजनाओं के मद में बाह्य एजेंसियों से 2800.00 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।
- (ख) बाजार ऋण - वर्ष 2020-21 में बाजार ऋण के अंतर्गत 22378.69 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। बाजार ऋण की उगाही भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के माध्यम से की जाती है।
- (ग) वित्तीय संस्थानों से उधार - वर्ष 2020-21 में नाबाड़ से 2400.00 करोड़ रुपये ऋण प्राप्त होने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि यह ऋण जिन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत होता है उन परियोजनाओं के कार्य की अद्यतन प्रगति के आधार पर प्राप्त होता जाता है। यह ऋण का सबसे सस्ता स्रोत है।
- (घ) उधारों तथा अग्रिमों की वसूली - 31 मार्च 2019 तक राज्य का 20814.33 करोड़ रुपये उधार तथा अग्रिम बकाया है। उधार एवं अग्रिम का एक बड़ा भाग (15571.40 करोड़ रुपए) ऊर्जा प्रक्षेत्र में उपलब्ध कराये गये उधार पर बकाया है। वर्ष 2020-21 में ऋणों की वसूली अन्तर्गत 428.23 करोड़ रुपये अनुमानित है।
- (ङ) बकाया दायित्व - लोक ऋण तथा अन्य दायित्व - वर्ष 2018-19 की वास्तविकी के अनुसार मार्च 2019 की समाप्ति पर लोक ऋण 126145.07 करोड़ रुपये है। राज्य के अन्य दायित्व (लोक लेखा में अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आरक्षित निधियाँ एवं जमा एवं पेशागियाँ) 42776.27 करोड़ रुपये हैं। इन दोनों को शामिल करने के उपरांत कुल बकाया दायित्व 168921.33 करोड़ रुपये का है।

## तालिका ख.2: राज्य सरकार के दायित्वों के घटक

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र० सं०	प्रवर्ग	वर्ष 1 अप्रैल 2018 को शेष राशि	वर्ष के दौरान प्राप्ति			वर्ष के दौरान वापसी अदायगी			शेष राशि (31 मार्च को)		
			पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
			2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>1</b>	आन्तरिक ऋण										
(i)	बाजार उधार	73897.14	14300.00	18970.44	22378.69	3396.93	3000.21	2600.21	84800.21	100770.44	120548.92
(ii)	एन०एस०एस०एफ० को जारी विशेष प्रतिबन्धितावां	21449.67	0.00	0.00	0.00	1819.02	1888.35	1888.35	19630.65	17742.30	15853.95
(ii)	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार इत्यादि	6819.80	1834.42	2100.00	2400.00	1083.54	1238.72	1412.40	7570.68	8431.96	9419.56
(iv)	बन्ध पत्र	2350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	1.10	2350.70	2348.60	2347.50
(v)	अन्य ऋण	7.45	0.00	665.31	30.58	0.00	23.40	18.00	7.45	649.36	661.94
(vi)	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/ अधिविकर्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल आन्तरिक ऋण	104524.76	16134.42	21735.75	24809.27	6299.49	6152.78	5920.06	114359.69	129942.66	148831.87
<b>2</b>	केन्द्र से ऋण	10181.92	2533.78	2685.00	2800.00	930.33	1083.15	1115.22	11785.37	13387.22	15072.00
	कुल लोक ऋण	<b>114706.68</b>	<b>18668.20</b>	<b>24420.75</b>	<b>27609.27</b>	<b>7229.82</b>	<b>7235.93</b>	<b>7035.28</b>	<b>126145.06</b>	<b>143329.88</b>	<b>163903.88</b>
<b>3</b>	लोक लेखा (अन्य दायित्व)	42070.09	55137.82	34140.00	32872.51	54431.64	34140.00	32872.51	42776.27	42776.27	42776.27
	योग	156776.77	73806.02	58560.75	60481.78	61661.46	41375.93	39907.79	168921.33	186106.15	206680.15

### (3) कुल व्यय :

कुल व्यय को राजस्व तथा पूँजीगत लेखे में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय तथा स्कीम व्यय को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान अनुसार स्कीम व्यय के अन्तर्गत राजस्व व्यय 65967.14 करोड़ रूपये एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय 98784.05 करोड़ रूपए अनुमानित है।

(क) **राजस्व लेखा** - राजस्व लेखा के अंतर्गत मुख्यतः वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतान शामिल है।

(i) **वेतन** - वर्ष 2020-21 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के वेतन मद में 24987.14 करोड़ रूपये का भुगतान किया जाना अनुमानित है। इसके अतिरिक्त स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से वेतन लोक उपक्रम एवं अन्य संस्थाओं में

कर्मियों को वेतन मद में सहायक अनुदान की राशि 7800.52 करोड़ रूपये जिसमें विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन एवं पेंशन मद में सहायक अनुदान के रूप में 3527.55 करोड़ रूपये भुगतान अनुमानित है।

(ii) ब्याज भुगतान - वर्ष 2020-21 में 12924.65 करोड़ रूपये का भुगतान अनुमानित है।

(iii) पेंशन - पेंशन मद में वर्ष 2020-21 में 20468.16 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है।

(ख) पूँजीगत लेखा - पूँजीगत लेखा के अंतर्गत मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय, लोक ऋण तथा उधार एवं अग्रिम शामिल है।

(i) पूँजीगत परिव्यय - राज्य के पूँजीगत परिव्यय का उपयोग मुख्यतः सड़क, बिजली तथा सिंचाई जैसी अधिसंरचना विकास हेतु किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में पूँजीगत परिव्यय 38744.59 करोड़ रूपये में वार्षिक स्कीम मद में 38683.20 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 61.39 करोड़ रूपये व्यय का अनुमान है।

(ii) लोक ऋण - वर्ष 2020-21 में लोक ऋण में 7035.27 करोड़ रूपए अनुमानित है जिसमें राज्य के आंतरिक ऋण के विरुद्ध 5920.05 करोड़ रूपए की राशि और केन्द्र सरकार से लिए गए कर्ज तथा अग्रिम के मद में 1115.22 करोड़ रूपए का व्यय अनुमान है।

(iii) उधार तथा अग्रिम - वर्ष 2020-21 में उधार तथा अग्रिम मद में 1230.44 करोड़ रूपये अनुमानित है जिसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 114.43 करोड़ रूपये और वार्षिक स्कीम मद में 1116.01 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है।

(4) राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) :

योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) का पत्र सं० 1361 दिनांक-17.10.2019 के आलोक में वर्ष 2020-21 का राज्य सकल घरेलू उत्पाद आधार वर्ष 2011-12 पर 685797 करोड़ रूपये अनुमानित है। वर्ष 2018-19 की वास्तविकी में राज्य सकल घरेलू उत्पाद 515634 करोड़ रूपये है।

(5) संवहनीयता का निर्धारण :

- (i) सामान्य प्राप्तियों और व्ययों तथा विशेषकर राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के मध्य संतुलन - राजकोषीय अधिनियम में विचारित राजकोषीय घटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कुल व्यय, विशिष्टः राजस्व व्यय, की अपेक्षा प्राप्तियों की दर में और अधिक तेजी से वृद्धि हो। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति जी०एस०डी०पी० का 30.86 प्रतिशत है तथा वर्ष 2020-21 में इसके 26.82 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में राज्य के अपने कर राजस्व का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 5.9 प्रतिशत है और यह वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में 5.1 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान के लिए केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 15.56 प्रतिशत है और यह वर्ष 2020-21 बजट अनुमान में 13.30 प्रतिशत संभावित है।

वर्ष 2019-20 बजट अनुमान में ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 6.07 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में 7.03 प्रतिशत हो जाने की संभावना है।

वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान के अनुसार कुल ऋण दायित्व का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 32.49 प्रतिशत अनुमानित है। यह अनुपात वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के अनुसार 30.14 प्रतिशत रहने की संभावना है।

(ii) स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के राजस्व व्यय में वृद्धि का अनुमान - वेतन मद में वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान के अनुसार 23358.30 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में 24987.14 करोड़ रूपये दिया जाना अनुमानित किया गया है। पेंशन मद में वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान के अनुसार 18457.53 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में 20468.16 करोड़ रूपये दिया जाना अनुमानित है।

राज्य द्वारा राजकोषीय घोटे को सीमित रखने तथा आवश्यकता के आलोक में ऋण लेने के कारण ब्याज भुगतान के व्यय में वृद्धि नियंत्रित रही है। ब्याज मद में वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार 11049.60 करोड़ रूपये एवं वर्ष 2020-21 में 12924.65 करोड़ रूपये दिया जाना अनुमानित है।

(iii) पूँजीगत प्राप्तियाँ जिसमें बाजार ऋण भी सम्मिलित हैं, का उत्पादक आस्तियों के सुजन के लिये उपयोग - राज्य के द्वारा राजस्व बचत की स्थिति वर्ष 2004-05 में ही प्राप्त कर ली गई थी एवं लगातार राजस्व बचत की स्थिति बनाये रखी गई है। सभी पूँजीगत प्राप्तियों का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक संरचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु सिंचाई, सड़क तथा पुलों, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के निर्माण में किया जा रहा है। आधारभूत क्षेत्रों में लोक निवेश को और बढ़ाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

(iv) आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन के दायित्व की गणना - वर्ष 2020-21 में पेंशन मद में 20468.16 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है। वर्ष 2020-21 से आगे के वर्षों के लिए 9 प्रतिशत की वृद्धि दर को आधार मानकर आकलन किया गया है।

### तालिका ख.3: अगले 10 वर्षों के लिए प्राक्कलित वार्षिक ऐंशन दायित्व का बौरा

वर्ष	राशि करोड़ रुपये में
2020-21	20468.16
2021-22	22310.29
2022-23	24318.22
2023-24	26506.86
2024-25	28892.47
2025-26	31492.80
2026-27	34327.15
2027-28	37416.59
2028-29	40784.08
2029-30	44454.65

#### (ग) राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण:-

**(1) राजकोषीय नीति - विस्तृत विचार :-** राज्य की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूँजीगत व्यय को बढ़ाना है ताकि सामाजिक एवं भौतिक अधिसंरचना में निवेश किया जा सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को बढ़ाया जा सकता है तथा निजी पूँजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही समावेशी विकास की अवधारणा को सम्मिलित करते हुए सामाजिक क्षेत्रों में राजस्व व्यय को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं अनुत्पादक गैर-योजना राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है। पूर्व वर्षों में आर्थिक विकास की दर में सुधार होने के कारण कर संग्रहण में वृद्धि देखी गई है।

बजट अनुमान के अनुसार राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में 4.06 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य के अपने कर राजस्व में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में 2.81 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। करेत्तर राजस्व में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में 9.00 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

राज्य का राजस्व बचत वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) 21,516.99 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष 2020-21 में 19172.80 करोड़ रूपए अनुमानित है तथा राजकोषीय घाटा वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) 16,101.05 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष 2020-21 में 20,374.00 करोड़ रूपए अनुमानित है। यह राजकोषीय घाटा वर्ष 2019-20 के (बजट अनुमान) राज्य सकल धरेलू उत्पाद 5,72,827.00 करोड़ रूपये (आधार वर्ष 2011-12) का 2.81 प्रतिशत है, वर्ष 2020-21 में राज्य सकल धरेलू उत्पाद 6,85,797.00 करोड़ रूपये (आधार वर्ष 2011-12) का 2.97 प्रतिशत है जो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के निर्धारित सीमा 3 प्रतिशत के अन्तर्गत है।

(2) आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति :- चूंकि भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जी०एस०टी०) अधिनियम 2017-18 में लागू किया गया है, अतः राज्य सरकार द्वारा भी बिहार राज्य में जी०एस०टी० अधिनियम को राज्य के विधान मंडल से पारित करा कर लागू किया गया है और इसके बेहतर कार्यान्वयन के क्रम में आवश्यक कार्रवाई समय-समय पर की जा रही है।

(अ) व्यय नीति :- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में अनुत्पादक व्यय में कमी करना, वार्षिक स्कीम व्यय में वृद्धि करना, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक राशि प्राप्त कर उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है।

राज्य की बजट प्रस्तुतीकरण व्यवस्था में लागू किए गए कुछ अन्य सुधार निम्नानुसार है :-

(क) परिणाम बजट :- सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण भौतिक परिणाम दर्शनी वाली विवरणी “परिणाम बजट” की पहल वर्ष 2006-07 में शुरू की गयी थी। इसी क्रम में वर्ष 2020-21 के लिए परिणाम बजट विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) जेण्डर बजट :- महिला प्रवर्ग द्वारा उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के प्रति सरकार की वचनबद्धता जेण्डर बजट से परिलक्षित होती है। जेण्डर बजट के

अन्तर्गत महिलाओं को लाभन्वित करने वाली प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है ताकि इनका उचित वर्गीकरण तथा बेहतर लक्ष्य का निर्धारण हो सके। जेप्डर बजट वर्ष 2008-09 से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2020-21 हेतु भी जेप्डर बजट विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) **बाल कल्याण बजटः-** राज्य की जनसंख्या में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या का अनुपात महत्वपूर्ण है एवं राज्य सरकार उनके कल्याण और विकास के लिए वचनबद्ध है। बाल कल्याण बजट के अन्तर्गत बच्चों के कल्याण की योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि का ब्यौरा अंकित होता है। बाल कल्याण बजट वर्ष 2013-14 से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2020-21 हेतु भी बाल कल्याण बजट विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) **उपलब्धि प्रतिवेदनः-** वित्तीय वर्ष 2006-07 से उपलब्धि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की परिपाटी शुरू की गयी है। उपलब्धि प्रतिवेदन एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यय के उपरान्त समीक्षा द्वारा व्यय की उपयोगिता, सरकार के वित्तीय संव्यवहारों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त संबंधित वर्ष का उपलब्धि प्रतिवेदन तैयार कर जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत कराया जाता है। वर्ष 2019-20 का उपलब्धि प्रतिवेदन जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) **ऋण एवं आकस्मिक दायित्वः** वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है, तत्पश्चात निरन्तर राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप पूँजी निवेश हेतु ऋण पर निर्भरता कम करते हुये भी पूँजीगत व्यय में वृद्धि की जा सकी है। आन्तरिक ऋण एवं केन्द्र सरकार के ऋणों की वापसी के लिए वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में निष्केप निधि का गठन किया गया है। 31 मार्च 2019 तक इस निष्केप निधि में ब्याज सहित जमा राशि 6370.78 करोड़ रुपये की है, जिसकी विवरणी निम्नलिखित है-

## तालिका ग.1: निक्षेप निधि विवरणी

(राशि करोड़ रूपये में)

मद	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष 2018-19 में निक्षेप निधि में निवेश	निवेश पर ब्याज	31 मार्च 2019 को अवशेष
निक्षेप निधि	5138.43	783.88	1475.66	6370.78

(4) आगामी वर्ष के लिये कार्यनीति एवं प्राथमिकताएँ:

### (I) जल-जीवन-हरियाली अभियान

विश्व में प्रकृति विमुख मानवीय गतिविधियों, विकास की असंतुलित अवधारणाओं एवं प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुध दोहन के कारण पारिस्थितिकीय असंतुलन का संकट सम्पूर्ण मानव जाति के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। विगत् वर्षों में जलवायु परिवर्तन एक बड़े खतरे के रूप में उभरा है। औद्योगीकरण के कारण वायुमंडल में भारी मात्रा में ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भू-मंडल पर मंडरा रहा है। इस जलवायु परिवर्तन से बिहार बुरी तरह प्रभावित है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बिहार के मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है। अनियमित वर्षापात्र के कारण बिहार को एक साथ बाढ़ एवं सुखाड़ का सामना करना पड़ रहा है।

दिनांक-09.08.2019 को बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर जल-जीवन-हरियाली, अभियान के मद्देनज़र जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के द्वारा जनमानस को जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम के प्रति जागरूक एवं स्वेदनशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

## जल-जीवन-हरियाली मिशन

पर्यावरण के प्रति लोगों को सजग, गंभीर एवं जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से जल-जीवन-हरियाली मिशन का गठन किया गया है। इसका लक्ष्य बिहार को सुन्दर, हरित और स्वच्छ बनाना है। मिशन का निबंधन सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत किया गया है। इसके कुशल संचालन हेतु एक समिति गठित है। इसके शासी निकाय में कुल 16 सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव, बिहार हैं। कार्यकारणी समिति में 30 सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष विकास आयुक्त, बिहार हैं।

## जल-जीवन-हरियाली मिशन का उद्देश्य

बढ़ती जनसंख्या, मानवीय गतिविधि एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने तथा राज्य में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से जल को प्रदूषण मुक्त एवं स्वच्छ रखने, जल उपलब्धता बढ़ाने, हरित आच्छादन को विस्तृत करने, नवीकरणीय ऊर्जा पर बल देने तथा बदलते पारिस्थितिक परिवेश के अनुरूप कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में नवाचार लाने के लिए विभिन्न विभागों और विषय-विशेषज्ञों के समन्वय से जल-जीवन-हरियाली अभियान का क्रियान्वयन किया जाना है।

## योजना का भौतिक लक्ष्य:-

जल-जीवन-हरियाली अभियान अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में 5870.00 करोड़ रुपये, वर्ष 2020-21 में 9874.00 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2021-22 में 8780.00 करोड़ रुपये अर्थात् तीन वर्षों में कुल 24524.00 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।

## योजना से संबद्ध विभाग:-

- ग्रामीण विकास विभाग
- लघु जल संसाधन विभाग
- नगर विकास एवं आवास विभाग
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
- पंचायती राज विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- जल संसाधन विभाग
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
- कृषि विभाग
- ऊर्जा विभाग
- भवन निर्माण विभाग
- सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

### योजना के मुख्य अवयवः-

- सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा-तालाबों/पोखरों/आहरों/पईनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करना ।
- सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा-तालाबों/पोखरों/आहरों/पईनों का जीर्णोद्धार ।
- सार्वजनिक कुँओं को चिन्हित कर उनका जीर्णोद्धार ।
- सार्वजनिक कुँओं/चापाकलों/नलकूपों के किनारे सोख्ता/रिचार्ज/अन्य जल संचयन संरचना का निर्माण ।
- छोटी-छोटी नदियों/नालों में एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संग्रहण क्षेत्रों में चेकडैम एवं जल संचयन के अन्य संरचनाओं का निर्माण ।
- नए जलस्रोतों का सृजन एवं अधिशेष नदी जल क्षेत्र से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल ले जाना ।
- भवनों में छत-वर्षा जल संचयन की संरचना ।
- पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण ।
- वैकल्पिक फसलों, टपकन सिंचाई, जैविक खेती एवं अन्य नई तकनीकों का उपयोग।
- सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत ।
- जल-जीवन-हरियाली जागरूकता अभियान ।

जीवन में खुशहाली तब तक,  
जल जीवन हरियाली जब तक ।

## II. समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS)-

(a) वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी परियोजना CFMS प्रणाली को दिनांक-01.04.2019 से लागू किया गया है। इसके द्वारा राज्य का संपूर्ण वित्तीय कार्य ऑन-लाईन एवं पेपर लेस हो गया है। CFMS के अंतर्गत निम्नांकित Module को लागू किया गया है :-

- (i) Budget Allotment,
- (ii) System Administration Module
- (iii) Employee Maintenance Module
- (iv) Payee Management
- (v) e-billing
- (vi) Expenditure Management
- (vii) Pension
- (viii) Online Govt. Receipt

इसके अलावे अन्य Modules को भी वर्ष 2020-21 में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है।

CFMS लागू हो जाने के बाद बजट निर्माण, आवंटन तथा प्रत्यर्पण का कार्य ऑनलाईन हो गया है। ससमय आवंटन उपलब्ध होने से भुगतान ससमय हो रहा है। सरकारी कार्यालयों को कोषागार से राशि निकासी हेतु कोषागार नहीं जाना पड़ रहा है। पेपर लेस विपत्र तैयारी के कारण कागज की खपत में कमी आयी है। कोषागार की कार्य प्रणाली पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत एवं ऑन लाइन हो गया है। CFMS के द्वारा सभी प्रकार का भुगतान RBI के e-Kubar Portal से e-Payment के माध्यम से किया जा रहा है। सरकारी कर्मियों, सर्वेदकों एवं वेंडरों को बिना कार्यालय गये उनके खाते में भुगतान हो रहा है तथा उनके मोबाइल पर SMS से सूचना भी प्राप्त हो रही है, जिससे पारदर्शिता आई है।

(b) सरकार का समस्त कर राजस्व e-Receipt के माध्यम से प्राप्त करने के लिए Online Government Revenue and Accounting Management System (O-GRAS) कार्यरत है, जिसे CFMS में संस्थापित किया जाना है। इसके लिए ई-कोषागार की स्थापना की गयी है। इसके द्वारा करदाता एवं आम आदमी कहीं से और कभी भी राज्य सरकार के खाते में राशि जमा कर सकते हैं। सरकारी राशि जमा करने हेतु कोषागार अथवा बैंक जाने

की आवश्यकता नहीं होगी । राजस्व, स्वास्थ्य, निबंधन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, कृषि विभाग आदि विभागों के लिए O-GRAS लागू कर दिया गया है । वित्तीय वर्ष 2020-21 में अन्य सभी विभागों को इसमें शामिल कर लिया जायेगा ।

### **III. प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (DBT)-**

केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित योजनाओं का लाभ सीधे लाभुकों को पहुँचाने हेतु PFMS ई-लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से DBT किया जा रहा है, जिसमें 17 (सत्रह) विभागों को शामिल किया गया है । इनमें कुल 126 (एक सौ छब्बीस) स्कीमों के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 16271 करोड़ रूपये का DBT किया गया है । वर्ष 2019-20 में अद्यतन 13585 करोड़ रूपये का DBT किया गया है । इस वित्तीय वर्ष में शिक्षा विभाग तथा कृषि विभाग को इस प्लेटफार्म पर लाया गया है । कृषि विभाग द्वारा शत-प्रतिशत आधार बेस्ड किसानों का डाटा तैयार किया गया है । शिक्षा विभाग द्वारा मेधा-सॉफ्ट नामक सिस्टम बनाया गया है, जिसमें करीब 1.5 करोड़ छात्रों का डाटा बेस तैयार कर लिया गया है ।

#### **(5) नीति परिवर्तन के मूल आधार :**

- (i) राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य का समावेशी विकास सुनिश्चित करना है ।
- (ii) कृषि के विकास की दर में वृद्धि बनी रहे हेतु तृतीय कृषि रोडमैप 2017-22 लागू किया गया है ।
- (iii) करों की दरों में अनावश्यक वृद्धि नहीं की जाएगी ।

**(6) नीति मूल्यांकन :** बिहार राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अनुसार वांछित राजकोषीय जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं । मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण वर्ष 2018-19 की वास्तविकी, वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान, वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान तथा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2022-23 का प्राक्कलन राजकोषीय घाटे की 3.00 प्रतिशत की अधिसीमा को ध्यान में रखते हुए अनुमानित किया गया है ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है ।

\*\*\*\*\*

(c) Copyright 2020 Finance Department, Govt. Of Bihar

PRINTED AT SARASWATI PRESS LTD. (GOVT. OF WESTBENGAL ENTERPRISE), KOLKATA 700056